आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

जगदीश सिंह आदि बनाम ग्राम पंचायत कोठा व अन्य

प्रकरण अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट अपील संख्या 61 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसाारित पत्रांक एवं दिनांक
18.06.19	वकील अपीलांट द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 30.05.2018 के विरूद्ध पेश की है। निर्णय की सत्यापित प्रति अपील के साथ पेश नहीं की गई है। अधी. न्यायालय का निर्णय राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत पारित किया गया है। वकील अपीलांट द्वारा न तो उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश एवं न ही ग्राम पंचायत कोठा के प्रस्ताव की सत्यापित प्रति पेश की है। प्रतिलिपि हेतु प्रा. पत्र अधी. न्यायालय में दिया गया जिसमें अधी. न्यायालय ने मुकदमा नं. दर्ज न होने के कारण प्रा.पत्र खारिज कर दिया। खारिज प्रा.पत्र की प्रति अपील के साथ पेश की है। वकील अपीलांट को अपील के एडमीशन स्तर पर एवं स्थगन प्रा.पत्र पर सुना गया। वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.05.2018 के विरूद्ध पेश की है एवं निर्णय राजस्व	

	अदालत अभियान के तहत पारित किया गया जिसके तहत वांछित प्रकरण की सत्यापित प्रतिलिपि नहीं मिल सकी और उपखण्ड अधिकारी ने प्रस्तुत नकल प्रा.पत्र में प्रकरण संख्या अंकित नहीं करने के कारण नकल प्रा.पत्र खारिज कर दिया। उक्त खारिज प्रा.पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपील को दर्ज कर स्थगन आदेश जारी किया जावे। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों एवं अपील के साथ प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की फोटो प्रति का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस एवं अपील के साथ प्रस्तुत निर्णय की फोटो प्रति का अवलोकन करने के उपरांत इस न्यायालय का निर्णय निष्कर्ष इस प्रकार है :– (1) प्रथम दृष्टया जिस आदेश को चुनौती दी गई है उसकी सत्यप्रति अपील के साथ प्रस्तुत नहीं है। (2) अपील लगभग एक साल विलम्ब से पेश की गई है जिसका कोई समुचित कारण नहीं दर्शाया गया है। (3) उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत जारी किया गया, जो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर पारित किया गया है। (4) अपीलांट ने न तो निर्णय की सत्यप्रति पेश की एवं न ही ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। अपीलांट ने केवल ओपचारिकता पूर्ण की है।	

निर्णय एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की प्रतिलिपि लेने हेतु उचित प्रयास नहीं किया गया।

(5)अपीलांट ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को पूर्ण रूप से पढा नहीं यदि पढा होता तो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में यह स्पष्ट अंकित है कि उक्त रास्ता चक 2ए बडा के मु. नं. 51 के कि.नं. 25 में चल रहा है एव बी.एस.एफ. की आवश्यकता को देखते हुए स्वीकृत किया गया है। अतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि मामला लोकमहत्व का है जिसमें सीमा सुरक्षा बल के वाहनों के आवागमन की दृष्टि से राष्ट्रहित भी है। ऐसी स्थिति में लोकहित अन्तर्वलित है, जिसकी अपील भी प्रार्थी द्वारा बिना प्रतिलिपि 1 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है जिसका कोई कारण भी दर्शित नहीं है।

ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर पेश करने पर इसी स्तर पर एडमिशन स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।